



प्रेस नोट कुर्की थाना टूण्डला दिनांक 02-04-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त जुबैर व सबील की दो गाडियों 1-कैंटर नम्बर यूपी 15 एफटी 9236 एवं स्विफ्ट कार संख्या यूपी 14 एफटी 4935 (कैंटर व कार दोनों की कीमत 22 लाख रुपये) को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।
- अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह बनाकर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खड़े वाहनों के तेल टैंक का ताला तोड़कर पाइप के सहारे मशीन से तेल अपनी टैंकर में लगी अतिरिक्त टैंकों में निकाल कर उसे तेल को कम दामों में होटल पर खड़े वाहन चालकों को बेचकर अवैध धन अर्जित करते हैं ।
- अभियुक्तगण द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित करके अवैध धन अर्जित कर दोनों वाहन कैंटर व स्विफ्ट गाडी को खरीदा गया है ।
- अभियुक्त सबील व जुबैर अपने अन्य साथियों तालिब व साजिद के साथ मिलकर गम्भीर अपराधों की घटनाओं को देते हैं अंजाम.....
- अभियुक्त तालिब पर विभिन्न जनपदों के थानों में करीब आधा दर्जन जान से मारने का प्रयास, अवैध असलहा, धोखाधड़ी, चोरी जैसे गम्भीर अपराधों में अभियोग हैं पंजीकृत.....

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा जनपद में अभ्यस्थ अपराधियों एवं संगठित गिरोह बनाकर गम्भीर अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ती अर्जित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत संगठित गिरोह बनाकर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खड़े वाहनों के तेल टैंक का ताला तोड़कर पाइप के सहारे मशीन से तेल अपनी टैंकर में लगी अतिरिक्त टैंकों में निकाल कर उसे तेल को कम दामों में होटल पर खड़े वाहन चालकों को बेचकर अवैध धन अर्जित करने वाले दो अभियुक्तों 1-सबील पुत्र इस्लाम एवं 2-जुबैर पुत्र बिलाल निवासीगण हर्षा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ की दो गाडियों 1-कैंटर नम्बर यूपी 15 एफटी 9236 एवं स्विफ्ट कार संख्या यूपी 14 एफटी 4935 (कैंटर व कार दोनों की कीमत 22 लाख रुपये) को कुर्क करते हुए धारा 107 बीएनएसएस के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

नाम पता अभियुक्तगण:-

- 1-सबील पुत्र इस्लाम निवासी हर्षा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 2-जुबैर पुत्र बिलाल निवासी हर्षा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।

कुर्क की गयी सम्पत्ती का विवरण:-

क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम	कुर्क वाहन	कुर्क सम्पत्ती का मूल्य
1	जुबैर उपरोक्त	स्विफ्ट कार संख्या यूपी 14 एफटी 4935	4,00,000.00 रूपये
2	सबील	कैंटर नम्बर यूपी 15 एफटी 9236	18,00,000 रूपये
कुल कुर्क की गयी सम्पत्ती मूल्यांकन रूपयों मे:-----			22,00,000 रूपये (22 लाख रूपये)

आपराधिक इतिहास जुबैर उपरोक्त:-

- 1-मु०अ०सं० 596/2024 धारा 303(2),112(2),317(2) बीएस थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-मु०अ०सं० 04/2022 धारा 420 भादवि थाना बालेनी जनपद बागपत ।

आपराधिक इतिहास सबील उपरोक्त:-

- 1-मु०अ०सं० 596/2024 धारा 303(2),112(2),317(2) बीएस थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।